

बिहार सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग।

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 29.10.1985

संख्या वन पर्यावरण 51/85/ 5978 व0, वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या 3791 दिनांक 30.08.04 को विलोपित करते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा, 28(2) के प्रावधानों के अनुसार एक सदस्यीय अपीलीय प्राधिकार का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

(1) सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग-

सदस्य

बिहार राज्याल के आदेश से,

ह0/-

(एम0 कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक वन पर्या0 51/85/5978 व0, पटना-15, दिनांक 29.10.1985

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना को राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन के बाद इसकी 200 प्रतियाँ इस विभाग में भेजने की कृपा करें।

ह0/-

(एम0 कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक वन पर्या0 51/85/5978 व0, पटना-15, दिनांक 29.10.1985

प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष / सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, पटना/ वन एवं पर्यावरण विभाग के सभी पदाधिकारी/ अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, 117ए, दुजरा, पटना तथा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, बिहार सरकार जल एवं वाहित मल बोर्ड, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(एम0 कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।